हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

18/3/21 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 5/5/21 को पेश हों।

5/5/21 कोरोना महामारी के प्रकोप [illegible] मद्य नजर रखते हुए [illegible] सुनवाई ता[illegible] [illegible] से पत्रावली [illegible] आदेशानु[illegible] 23/6/21 को पेश हो।

23/6/21 कोरोना महामारी के प्रकोप को मद्य नजर रखते [illegible] सुनवाई तारीख [illegible] पाने से पत्राव[illegible] आदेशानुसार दिनाक 13/8/21 को पेश हो।

13/8/21 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 14-9-21 को पेश हों।

14/9/21 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 29/10/21 को पेश हों।

29/10/21 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ [illegible] अदालती कार्य [illegible] कर [illegible] पत्रावली [illegible] आदेशानुसार 18/1/22 [illegible]

18/1 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 31/3/22 को पेश हो।

31/3/22 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० / अप्रार्थीगण की तामील सम्यक रूप से हो चुकी है [illegible] व-25 तामील आई अतः अप्रार्थीगण 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है वास्ते बहस पत्रावली दि० 22/7/22 को पेश हो

मोहनलाल v/s कानसिंह
प्रा० 409/2017 धारा 128 LR Act

22 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप०। बहस एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय 29/7/22 को पेश हो।

29/7/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पत्रावली में बहस एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा नंबर 2364 रकबा 0.10 हैक्ट. प्रार्थी की एकल खातेदारी भूमि है। तथा अन्य वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 2363 रकबा 0.34 हैक्ट. व खसरा नबर 2359 रकबा 0.56 हैक्टे. प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों की सहखातेदारी की भूमि है। अतः प्रार्थी, सहखातेदारान व पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रा0 पत्र0 409/2017

निर्णय दिनांक 29.07.2022

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पीथमपुरी पटवार हल्का पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नंबर 2363 रकबा 0.34 हैक्टे., खसरा नंबर 2364 रकबा 0.10 हैक्टे., खसरा नंबर 2359 रकबा 0.56 हैक्टे. की प्रार्थी एवं सहखातेदारान व पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 23.05.2017 पत्थरगढी की जावे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner